आदेश व इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 354/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

ओरिक्स लीजिंग एण्ड फाईनेंशियल सर्विसेज इण्डिया लि॰ रजिस्टर्ड आफिस प्लाट नं॰ 94, सारोल को–आपरेटिव इंडस्ट्रीयल एस्टेट, अंधेरी, कुर्ला, रोड, (अंधेरी) मुम्बई। शाखा कार्यालय के–14 छटा तल, आइ वी सी टावर, अशोक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. पुरूषोत्तम गुप्ता पुत्र श्री गजानन्द गुप्ता
2. श्रीमती गुंजन गुप्ता पत्नी श्री पुरूषोत्तम गुप्ता
   निवासी ई–359, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर एवं
   प्लाट नं॰ 15, गोकुल विहार ए, बुद्वसिंहपुरा, टौंक रोड, जयपुर ।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थितः–

1. श्री प्रदीप राजपुरोहित अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।
2. श्री दिनेश विश्नोई अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।

आदेश दिनांक 02.12.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 02.05.2017 को पुनभुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी पुरूषोत्तम गुप्ता पुत्र श्री गजानन्द गुप्ता के स्वामित्व की सम्पति प्लाट नं॰ 15, गोकुल विहार ए, बुद्वसिंहपुरा, टौंक रोड, जयपुर क्षैत्रफल 242.91 वर्गगज को बन्धक रख कर 59,20,694/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 11.03.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश विश्नोई ने उपस्थित हो कर वकालतनामा व आपत्ति पेश की ।
3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को को गौर से सुना गया । पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 27 अगस्त 2018 से कम संख्या 23 पर सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. प्रार्थी वित्तीस संस्था की ओर से धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का 30 दिवस या अधिकतम 60 दिवस में निस्तारण किये जाने का प्रावधान है। अप्रार्थी को पर्याप्त समय दिया जा चुका है। धारा 14 सरफेशी के प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी की ओर से जो आपत्तियां उठाई गई है, उन पर सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 59,20,694/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 65,49,424/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 11.03.2020 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जबाव नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

7. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी पुरूषोत्तम गुप्ता पुत्र श्री गजानन्द गुप्ता के स्वामित्व की बन्धक सम्पति प्लाट नं. 15, गोकुल विहार ए, बुद्धसिंहपुरा, टौंक रोड, जयपुर क्षैत्रफल 242.91 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

8. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त शहर जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें।

9. आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर ~~हो~~।

10. आदेश आज दिनांक 02.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

2/12/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर